राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राज. जयपुर)

क्रमांक एफ3( )निजभूस/लेखा/2012/ 1761–1973 दिनांक 10/7/2012

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग के अधीनस्थ परियोजना प्रबन्धक, डब्ल्यूसीडीसी, सहायक अभियन्ता, पी.आई.ए. एवं डब्ल्यू.सी. स्तर पर परियोजना संचालन कार्यकलापों हेतु जारी की जाने/प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्तियों में संक्षिप्त विवरण न देकर अनावश्यक रूप से लम्बे–चौडे विज्ञापन(विज्ञप्ति) जारी किये जा रहे हैं, जिससे राज्य सरकार के निर्देशों एवं जी.एफ.एण्ड ए.आर. पार्ट–।। नियम 38(ख) (ii से V) की पालना नहीं हो पा रही है। साथ ही राजकीय धनराशि का अपव्यय भी हो रहा है। अतः सभी परियोजना प्रबन्धकों, जिला जलग्रहण विकास इकाई, सहायक अभियन्ता, पी.आई.ए. एवं सरपंच ग्राम पंचायत डब्ल्यू सी स्तर से जारी होने वाली विज्ञप्तियों का अखबारों में प्रकाशन मात्र संक्षिप्त विवरण के रूप में करावें एवं विस्तृत विवरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग की वैबसाईट पर अपलोड हेतु ई–मेल किया जावे, ताकि अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार के साथ–साथ राजकीय धन का मितव्ययता से उपयोग किया जा सके। अतः भविष्य में जारी की जाने वाली समस्त विज्ञप्तियों में उक्त निर्देशों/नियमों की पालना कठोरता से सुनिश्चित की जावे।

निदेशक

क्रमांक एफ3( )निजभूस/लेखा/ 2012/1761–1973 दिनांक 10/7/2012
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एल.एन.ए., पन्त कृषि भवन जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/एम.आई.इ.एस.), मुख्यालय जयपुर।
3. उप निदेशक(आई.डब्ल्यू.एम.पी.–I, II, III, IV, V, VI, VII), मुख्यालय जयपुर।
4. परियोजना प्रबन्धक, जिला जलग्रहण विकास इकाई, समस्त।
5. ए.सी.पी., मुख्यालय जयपुर।
6. सहायक अभियन्ता, पी.आई.ए. समस्त।

निदेशक